बिहार का ग्रामीण समाज और स्थायी बंदोबस्त (1793-1947) : एक ऐतिहासिक अध्ययन

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वर नगर, दरभंगा

के

सामाजिक विज्ञान संकाय (इतिहास)

में

पी०एच०डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत

प्रस्तावित शोध-प्रबन्ध की रूपरेखा

2021—2022

शोध पर्यवेक्षक

डॉ० कुमारी ज्योति
सहायक प्राध्यापक
इतिहास विभाग
राम कृष्ण महाविद्यालय,
मधुबनी

शोधार्थी

सुप्रिया स्वराज
इतिहास विभाग
ललित नारायण मिथिला
विश्वविद्यालय
कामेश्वर नगर, दरभंगा

बिहार का ग्रामीण समाज और स्थायी बंदोबस्त (1793–1947) : एक ऐतिहासिक अध्ययन

1. प्रस्तावना

स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश कालीन बिहार के इतिहास का महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी दस्तावेज है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित, स्थायी बंदोबस्त एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने बिहार के ग्रामीण समाज में रहने वाले संपूर्ण कृषि आधारित जनसंख्या को प्रभावित किया। स्थायी बंदोबस्त की इस नयी व्यवस्था ने मुगलकालीन ग्रामीण समाज के ढांचागत संरचना में अनेक बदलाव किए। पुराने मुगलकालीन वर्ग (जागीरदार) के अवसान के साथ ही नये प्रभुत्वशाली वर्ग (जमींदार) अस्तित्व में आया जो सरकार समर्थक था। नगदी में लगान चुकाने की परंपरा स्थापित हुई जिसने बंद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जिससे गांव में प्रचलित विनिमय व्यवस्था टूटने लगी। ग्रामीण जीवन में विदेश में बने वस्तुओं का आगमन हुआ। जमींदारों के साथ कृषकों का नया उत्पादन संबंध कायम हुआ जो शोषण पर आधारित था। इस व्यवस्थों ने किसानों को आत्मनिर्भर रैय्यत से आश्रित रैय्यत और खेतिहर मजदूर को बंधुआ मजदूर बना दिया। इस व्यवस्था से बिहार में दरभंगा राज हथवा राज और बेतिया राज जैसी जमींदारी की स्थिति भी प्रभावित हई। दरभंगा राज के माधव सिंह ने निर्धारित शर्तों पर बंदोबस्त लेने से इंकार कर दिया था। यह विवाद राजा माधव सिंह

के जीवनकाल तक चला। अंततः यह व्यवस्था लागू कर दी गई जिसने जमींदारी को अनेक तरह से प्रभावित किया। इस बंदोबस्त ने भूमि के संरक्षण और उसके उपयोग में सीमाओं को स्पष्ट कर दिया जिससे जमींदारों को नियमित रूप से भूमि का उपयोग करना पड़ा। इसके अलावा जमींदारों को कृषि, उत्पादन, टैक्स भुगतान और अन्य क्षेत्रों में नियमित रूप से भूमि का प्रबंधन करना पड़ा। इस तरह बिहार के सामाजिक जीवन को इस व्यवस्था ने अनेक प्रकार से प्रभावित किया ।

पट्टेदारी व्यवस्था का प्रसार – जमींदारी ही जमीदारी को जन्म देती है यह कहावत बिहार के जमींदारी व्यवस्था पर लागू होती है। बड़े जागीरदार अपने जागीर का कुछ हिस्सा ठेके या पट्टे पर उठा देते थे जो जमींदारो को निश्चित लगान देकर किसानों से मनमाना लगान वसूलते थे। नीलहे यूरोपियन भी ऐसे ही ठेकेदार थे जो बेतिया महाराज से जमीन पट्टे पर लेते थे । ये नीलहे किसानों को अपने जमीन के एक निश्चित हिस्से पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे और मनमाने कीमत पर खरीदते थे। पट्टेदारी की इस व्यवस्था ने किसानों और जमींदारों की बीच अनेक स्तरों पर बिचौलियों को जन्म दिया जिसने किसानों के आर्थिक शोषण को और बढ़ा दिया।

कृषि जोतों का विस्तार –

जमींदारों ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए बंजर भूमि को पट्टे पर सस्ती दरों पर लोगो को देने लगे। दरभंगा महाराज ने कोशी अंचल की बलुआही जमीन बड़े पैमाने पर मैथिल ब्रह्मण और पश्चिमा राजपूतों को दिया। पूर्णिया के कुछ रियासतों ने भी ऐसा ही किया। बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए मेहनती और थोड़े पैसों में गुजारा

करने वाले दलितों और पिछड़ी जातियों को आसपास के अंचलों से लाकर बसाया जिससे एक नया उत्पादन संबंध कायम हुआ। इस तरह जबदस्ती कृषि जीतो में विस्तार किया गया। इसमें भी जमींदारों का उत्पादन स्वार्य छिपा होना था। कृषि की जोत बढ़ा कर वो अपना आय का श्रोत बढ़ाना चाहते थे। इस तरह अपने फायदे के लिए कृषि के क्षेत्रों का विस्तार किया ।

किसानों की स्थिति में परिवर्तन—

स्थायी बंदोबस्त ने किसानों की स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला। स्थायी बंदोबस्त ने किसानों को जमीन के स्थायी स्वामित्व से किरायेदार की स्थिति में खड़ा कर दिया। सबसे बुरी स्थिति तो रैय्यतों की थी जो जमींदारों और धनी रैय्यतो की भूमि पर खेती करते थे जिन्हे सरह, मनहंडा और बंटाई के रूप में अपने उपज का दो तिहाई अपने भूमि मालिको को देना पड़ता था। जो किसान पहले स्वयं की भूमि पर खेती करते थे वो अब जमींदारों कि शरण में आगए थे। अब उनकी स्थिति पहले जैसी नहीं रही। अब उन्हें बड़े रैय्यों या जमींदारों के अंदर काम करना पड़ता और उन्हें कर देना होता था। इस तरह जो अब तक स्वतंत्र किसान थे वो अब अपनी ही भूमि पर किरायेदार बन गए थे। ये स्थायी बंदोबस्त का ही प्रभाव था।

खेत मजदूरों की स्थिति –

स्थायी बंदोबस्त ने किसानों पर निर्भर खेतिहर मजदूरों को बद्तर स्थिति में पहुंचा दिया। इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। मजदूर कर्ज के दुष्चक्र में ऐसे फंसते गए की इन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी और वे बंधुआ मजदूर की श्रेणी में आ

गए। खेत मजदूरों की आधी से अधिक आबादी बंधुआ मजदूरों की हो गई। 1901 में 49 लाख से बढ़कर इनकी आबादी 1911 में एक करोड़ हो गई। ये खेती पर निर्भर आबादी के एक तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते थे। इस तरह जो मजदूर अबतक किसानों पर निर्भर थे उनकी स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया। जो मजदूर अबतक स्वतंत्र रूप से कम करते थे उनकी स्थिति अब बंधुआ मजदूर जैसी हो गई।

प्रवासी की संख्या बढ़ी–

जमीदारी व्यवस्था से उत्पन परिस्थियों ने मजदूरों और गरीब रैय्यतों को काम की खोज में बाहर जाने पर विवश कर दिया। हजारों मजदूर प्रत्येक साल बंगाल और असम जाने लगे। 1921 ईस्वी के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार से बाहर जाने वाले मजदूरी की संख्या 18,17000 थी। बाहर जाने वाले मजदूरी में जातीय विभाजन भी महत्वपूर्ण था। बाहर जाने वालों में ऊंची जाति के लोगों की संख्या अधिक थी। क्योंकि जातिगत संस्कारों के कारण ये गांव में मजदूरी नहीं कर पाते थे। एक सर्वे के अनुसार कलकाता में प्रवासियों के कुल संख्या का 25% सिर्फ बहह्मण थे। यह प्रवर्जन केवल बंगाल और आसाम तक ही सीमित नहीं था लोग फिजा और मॉरिशस भी जाते थे। 1901 से 1911 तक विदेश जाने वाली आबादी का आधे से अधिक संख्या बिहारियों की थी। इस तरह बिहार में लोग स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था से प्रभावित हुए इस कदर प्रभावित हुए कि उन्हें अपना घर तक छोड़ कर प्रवासी बनना पड़ा। वो मजबूर होकर मजदूरी करने अपने गांव अपने शहर को छोड़ कर चले गए। इस तरह बिहारी प्रवासियों की संख्या बढ़ी।

मनीआर्डर अर्थव्यवस्था का विस्तार –

स्थायी बंदोबस्त के कारण जो मजदूरों का प्रवास बढ़ा उसके कारण बिहार में मनीआर्डर व्यवस्था की नींव पड़ी। मजदूर अपनी कमाई घर भेजते थे। 1915 में बिहार में 4.21 करोड़ रुपया मनीआर्डर से आया जो 1920 में बढ़कर 6.66 करोड़ रुपया हो गया। इस तरह बिहार में मनीआर्डर अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी और इसका विस्तार भी होता रहा।

जाति लगान व्यवस्था को बढ़ावा –

स्थायी बंदोबस्त में लगान की दर जातीय आधार पर तय की जाती थी। सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लगान जाति देख कर तय की जाती थी। हंटर ने चंपारण जिले के बारे में लिखा है कि ऊंची जाति के लोगों को निम्न जाति के लोगों की तुलना में कम लगान देना होता था। उन्होंने बताया कि ब्रह्मण और राजपूत रैय्यतों को दुसाध और अन्य जातियों की तुलना में एक तिहाई लगान देना पड़ता था। इस तरह स्थायी बंदोबस्त के कारण जाति लगान व्यवस्था को बढ़ावा मिला। समाज में जातिगत असमानता को भी बढ़ावा मिला।

जमीदार कृषक संघर्ष का उदय– 1885 ईस्वी का बंगाल काश्तकारी अधिनियम में रैय्यतों के हित में कुछ प्रावधान किए। 1892 ईस्वी में सर्वे सेटलमेंट का काम शुरु हुआ जिससे किसानों में नए उत्साह का संचार हुआ और अपने अधिकारों के प्रति सजगता आयी तो उन्होंने जमींदारों के शोषण करी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना प्रारंभ किया। लगान वृद्धि और जोत के अधिकार जमींदारों और किसानों के तनाव के प्रमुख बिंदु थे। चंपारण में चारागाह और खेत के पेड़ पर अधिकार के प्रश्न पर रैय्यों और

जमींदारों में संघर्ष हुआ। बनैली राज में कायमी जोतों के बिक्री पर कीमत का 25 प्रतिशत लेवी के रूप में लेने का विरोध हुआ। सीतामढ़ी में खिस्ता (सादे कागज की रसीद) प्रथा के खिलाफ आंदोलन चला । दरभंगा राज में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में संघर्ष हुआ। 1920 के दशक तक किसान जमींदारों के खिलाफ राजनीतिक रूप से संगठित हो गए थे। और वे सरकार की नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित करने की स्थिति में आ गए थे। 1920 के काउंसिल चुनाव में चार रैय्यत प्रतिनिधि विजयी हुए। इस तरह स्थायी बंदोबस्त ने जमींदार कृषक संघर्ष को जन्म दिया। यह संघर्ष धीरे धीरे बढ़ता गया।

जातीय संगठनों का उदय–

इस काल में कई कृषक जातीय समाज के शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए संगठित हुए। जिसके कारण कई जातीयों के संगठन अस्तित्व में आए। इन जातियों में संस्कृतिकरण के लक्षण भी उभरते हुए दिखाई पड़ते हैं जो अपने को अपने से उच्च जातियों के बराबर का सामाजिक स्तर प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने प्राचीन मिथकों का भी सहारा लिया। भूमिहारों ने खुद को ब्रह्मण और कुर्मियो ने खुद को राजपूतों के रूप में जनगणना में शामिल करने के लिए सरकार को आवेदन दिया। 1873 में कायस्थ धर्म सभा, 1889 में प्रधान भूमिहार ब्राह्मण सभा, 1891 में दुसाध वंशीय क्षत्रिय सभा, 1911 में गोप सभा का गठन हुआ। इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त के कारण बिहार के ग्रामीण समाज में जातिय विभाजन और विभिन्न जातिय संगठनों का उदय हुआ। हमे समाज में संस्कृतिकरण के लक्षण भी देखने को मिले।

2. पूर्व अध्ययन की समीक्षा

विपिन चंद्र ने अपनी पुस्तक भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास' (2009) में स्थायी बंदोबस्त के अनेक पक्षों को प्रकाश में लाने का प्रयास किया है। इनकी पुस्तक में स्थायी बंदोबस्त के विषय में जानकारी तो मिलती है परंतु वे सामाजिक परिवर्तनों से ज्यादा उसमे राष्ट्रवाद के कारकों को ढूंढने का प्रयास करते हैं।

पुष्यमित्र ने अपनी पुस्तक 'जब नील का दाग मिटा '(2018) में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में समाज के हर पहलू को दिखाया है। विभिन्न कारणों से समाज में होने वाले बदलाव को दिखाया है। परंतु ये नील आंदोलन को केंद्र में रखते हैं। इन्होंने नील आंदोलन को ही केंद्र में रखा है।

प्रसन्न कुमार चौधरी ने अपनी पुस्तक 'बिहार में समाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम (2001) में बिहार में समाजिक परिवर्तनों के महत्वपूर्ण पक्षों को बताते है। ये दरभंगा जिला में उभर रही समस्यायों का भी जिक्र करते हैं। इन्होंने मजदूरों की स्थिति, किसानों के स्थिति में हुए परिवर्तनों के विषय में जानकारी प्रदान किया है। इन्होंने सामाजिक परिर्वतन के महत्वपूर्ण पक्षों को अवश्य बताया है किंतु वे स्थायी बंदोबस्त के विषय पर ज्यादा जोड़ नहीं दिया है जो बिहार के ग्रामीण समाज में परिवर्तन का मुख्य बिंदु है।

राम चंद्र प्रधान ने अपनी पुस्तक 'राज से स्वराज '(2018) में भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के इतिहास को दिखाया है। उपनिवेशिक काल में समाजिक स्थिति के बारे में

जानकारी देते हैं। ये सामाजिक स्थिति का वर्णन तो करते है किंतु इसके मूल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था रही है इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है।

सब्यसाची भट्टाचार्य ने अपनी पुस्तक आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास' (1990) में भूमि व्यवस्था और कर प्रणाली, कृषि बाजार और कृषक, मजदूर, महाजन के विषय में लिखा है। साथ ही उन्होंने अभाव, अनशन और अकाल, औपनिवेशिक उद्योग और कटीर उद्योग का हाल, देशी व्यापारी वर्ग का उत्थान जैसे विषयों पर चर्चा किया है। इस तरह इनकी किताब से हमे समाज में हो रहे परिवर्तन की जानकारी प्राप्त होती है। ये सामाजिक परिर्वतन के कारणों पर कम ध्यान देते हैं।

पी. झा (1997) ने अपने "Land reforms in Bihar: Need for a far reaching approach" में संपूर्ण बिहार में भूमि सुधार की विस्तृत जानकारी प्रदान की है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो कि इसका केंद्र रहा है इस विषय पर इन्होंने लिखा है। बिहार के प्रत्येक जिले में भूमि सुधार को लाने का प्रयास किया गया। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू होने के साथ ही भूमि सुधार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था। इस तरह इन्होंने संपूर्ण भूमि सुधार के प्रयासों के विषय में और उसके प्रभाव को दिखाया है। इन्होंने भूमि सुधार को केंद्र में रखा है और स्थायी बंदोबस्त की संक्षिप्त व्याख्या की है।

3. समस्या का चयन

भूमि सुधार आजादी के बाद भी बिहार में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। ब्रिटिश सरकार द्वारा कई सारे भूमि व्यवस्था को लागू किया गया और इस व्यवस्था से ग्रामीण समाज प्रभावित हुआ। आज के वर्तमान समाज की कई समस्यायों जैसे भूमि का असमान

वितरण, बेगार की समस्या के मूल में स्थायी बंदोबस्त की नीतियां है। इस प्रकार इस शोध विषय (बिहार का ग्रामीण समाज और स्थायी बंदोबस्त (1793–1947) : एक ऐतिहासिक अध्ययन) लेने का मेरा उद्देश्य ब्रिटिश काल के बिहार के ग्रामीण समाज में परिवर्तन का आकलन करना एवम उनके विभिन्न सामाजिक पक्षों को रेखांकित करना है।

4. अध्ययन का उद्देश्य, महत्व एवं प्रासंगिकता

1. ब्रिटिश काल के बिहार के ग्रामीण समाज में हुए परिवर्तनों की पड़ताल करना।
2. नयी भूमि व्यवस्था के कारण समाज में उत्पन्न विभेदीकृत स्तर की पहचान करना।
3. भूमि स्वामित्व संबंधी समाजिक असमानताओं की पड़ताल करना।
4. औपनिवेशिक बिहार में समाजीकरण की प्रक्रिया को रेखांकित करना।
5. आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज के विखंडन में स्थायी बंदोबस्त की भूमिका को रेखांकित करना।
6. स्थायी बंदोबस्त के बाद भूमि स्वामित्व पैटर्न, कृषि पद्धतियों और ग्रामीण शासन संरचनाओं में बदलाव की जांच करना।

5. ज्ञान के क्षेत्र में योगदान

यह शोध कृषि समाजों पर औपनिवेशिक भूमि नीतियों के दीर्घकालिक परिणामों पर प्रकाश डालने में महत्वपूर्ण है। इस शोध के माध्यम से नीति निर्माता और विद्वान ग्रामीण बिहार पर स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव को समझकर, क्षेत्र में भूमि स्वामित्व, कृषि उत्पादकता

और सामाजिक–आर्थिक असमानताओं से संबंधित वर्तमान चुनौतियों के समाधान में अंतरंष्टि प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव के अध्ययन से हमें पता चलेगा कि भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों हुई। इस संबंध में लोगों की समझ विकसित हो सकेगी। इस शोध का उद्‌देश्य स्थायी बंदोबस्त के कारण जन सामान्य के जीवन में आए बदलावों को जानना है।

6. अध्ययन क्षेत्र

मैंने शोध अध्ययन हेतु भूमि व्यवस्था और इसके प्रभाव का चयन किया है। भूमि व्यवस्था काफी विस्तृत विषय है इसलिए सूक्ष्म और विस्तृत अध्ययन के लिए मैने भूमि व्यवस्था के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का चयन किया है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बिहार के साथ ही बंगाल, उड़ीसा, वाराणसी आदि स्थानों में भी लागू किया गया था परंतु इस विषय पर सूक्ष्म अध्ययन हेतु मैने बस बिहार का चुनाव किया है। इस तरह मैं बिहार में स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करना चाहूंगी।

7. अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत शोध अध्ययन में ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक और अन्वेषण प्रविधि का प्रयोग किया जायेगा तथा आवश्यकता अनुसार भविष्य में अन्य विधियों का भी प्रयोग किया जायेगा।

8. स्रोत सामग्री की उपलब्धता

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक दोनो प्रकार के तर्थ्यो का संकलन किया जाएगा।

- **प्राथमिक स्रोत**
    - ब्रिटिश राज के सरकारी दस्तावेज, अधिनियम
    - समकालीन समाचार पत्र और पत्रिकाएं
    - व्यक्तिगत पत्र और डायरी
- **द्वितीय स्रोत**
    - बिहार के इतिहास पर पुस्तकें और लेख
    - स्थायी बंदोबस्त पर शोध पत्र
    - सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन पर अध्ययन

स्रोत सामग्री की उपलब्धता के हेतु विभिन्न पुस्तकालय और अभिलेखागार

1. सेंट्रल लाइब्रेरी, एलएनएमयू, दरभंगा
2. राज लाइब्रेरी, दरभंगा
3. खुदा बैख्श लाइब्रेरी, पटना
4. बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना
5. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता

उपर्युक्त के अलावा आवश्यकता अनुसार अन्य पुस्तकालय एवम अभिलेखागारो से स्रोत सामग्री एकत्रित की जायेंगी।

9. परिकल्पना

- जमींदारों और सरकार के गठबंधन ने कृषक ग्रामीण समुदाय को नुकसान पहुंचाया तथा स्थायी बंदोबस्त व्यव्स्था ने जर्मीदार और महाजन के रूप में नए शोषणकारी व्यवस्था को जन्म दिया।
- स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने अगर कृषक ग्रामीण समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचाया तो उनकी स्थिति बिगड़ती क्यों गई ? किसानों का एक बड़ा समुदाय कृषि छोड़ कर दूसरे शहरों में पलायन क्यों कर रहे थे ?

10. कार्य योजना

1. स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की पृष्ठभूमि
2. बिहार में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था एक परिचय
3. स्थायी बंदोबस्त का ग्रामीण समाज पर प्रभाव
4. रैय्यतों और मजदूरों की स्थिति में परिवर्तन
5. स्थायी बंदोबस्त और किसान आंदोल
6. उपसंहार

11. संदर्भ :

प्राथमिक स्रोत :–

- बंगाल कास्तकारी अधिनियम 1885
- 1892 का सर्वे सेटलमेंट
- दत्ता के के., हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मोमेंट इन बिहार, 3 वोल्स पटना, 1957
- कुमार एन., बिहार डिस्ट्रीक्स गैजेटर, जनर्लिजम इन बिहार, पटना : गवर्नमेण्ट ऑफ बिहार, 1971
- केर, जे.एच. फाइनल रिपोर्ट आन द सर्वे एण्ड सेटेलमेण्ट आपरेशन इन द दरभंगा डिस्ट्रीक्ट 1896 टू 1903 पटना ; गवर्नमेण्ट प्रीटिंग 1926
- चौधरी पी सी रॉय, बिहार डिस्ट्रीक्ट गैजेटर : दरभंगा (द सुप्रटेण्डेन्ट सेक्रेटेरिऐट) प्रेस, पटना बिहार, 1964

द्वितीयक स्रोत :–

- भट्टाचार्य सब्यसाची आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास (राजकमल प्रकाशन), 1990
- चंद्र विपिन, भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास (अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लि.),2009
- प्रधान रामचंद्र, राज से स्वराज तक (प्रभात प्रकाशन), 2018
- पुष्यमित्र, जब नील का दाग मिटा (राजकमल प्रकाशन), 2018

- मिश्र, गिरीश, 'दि एग्रेरियन प्रोब्लम्स ऑफ परमानेंट सेटेलमेट : ए केस स्टडी ऑफ चंपारण', नई दिल्ली, 1978
- मिश्र, रामानंदन, 'किसानों की समस्याएं', दरभंगा, 1952
- चौधरी प्रसन्न कुमार, बिहार में समाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम (वाणी प्रकाशन), 2001
- यंग, आनंद ए., द लिमिटेड राज : एग्रेरियन रिलेशन इन कोलोनियल इंडिया, सारण डिस्ट्रीक्ट, 1793–1920 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, 1989
- झा, पी लैण्ड रिफार्मस इन बिहार नीड फार ए फार रिचिंग एप्रोच रिट्रीण्ड अक्टूबर 05, 2013
- एग्रेरियन प्राब्लम्स ऑफ परमानेंट सेटलमेण्ट : ए केस स्टडी ऑफ चम्पारन, न्यू दिल्ली पीपल्स पब्लिशिंग हाउस : 1978

शोध पर्यवेक्षक

डॉ० कुमारी ज्योति
सहायक प्राध्यापक
इतिहास विभाग
राम कृष्ण महाविद्यालय,
मधुबनी

शोधार्थी

सुप्रिया स्वराज
इतिहास विभाग
ललित नारायण मिथिला
विश्वविद्यालय
कामेश्वर नगर, दरभंगा